प्रेस नोट **26/04/2025**

क्रूरता पुर्वक लादकर ले जा रहे 03 राशि मवेशी व पिकअप वाहन बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 25.04.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ढिकुलियाघाट के पास से 02 अभियुक्तगण अली हुसैन पुत्र मोबिन निवासी नईकडीह थाना दुल्हपुर जनपद गाजीपुर, सहजाद पुत्र तेजु उर्फ रुस्तम निवासी जलालपुर थाना दुल्हपुर जनपद गाजीपुर के कब्जे से क्रूरता पुर्वक लादकर ले जा रहे 03 राशि मवेशी (02 भैस, 01 बडवा) तथा घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 128/25 धारा 317(2), 317(4) बीएनएस व 11(1)डी पशू क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया। बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अली हुसैन पुत्र मोबिन निवासी नईकडीह थाना दुल्हपुर जनपद गाजीपुर।
2. सहजाद पुत्र तेजु उर्फ रुस्तम निवासी जलालपुर थाना दुल्हपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी–

1. 03 राशि मवेशी (02 भैस, 01 बडवा)।
2. एक अदद पिकअप वाहन।

अंग्रेजी शराब की दुकान से चोरी की 57 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद, 01 शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.04.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अंकुर सिंह पुत्र सन्तोष सिंह निवासी करहा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 57 शीशी अलग अलग कम्पनी व मात्रा की अंग्रेजी शराब (कुल 18.525 ली0) बरामद कर गिरफ्तार किया गया । कड़ाई से पूछताछ पर बताया गया कि मैं तथा मेरे साथी दीपक सिंह पुत्र रामनरायन सिंह, सोनू केशरी पुत्र जितेन्द्र, मोनू सिंह पुत्र शर्माजीत सिंह निवासीगण करहां थाना मो0बाद गोहना मऊ ने मिलकर के चोरी किये थे व आपस मे बांट कर व शराब को दुकान के पीछे ही गड़ही मे छिपा दिये थे चोरी के शेष- शराब को चलते फिरते राहगीरों सस्ते दामो पर बेच दिये व दुकान मे लगे सीसीटीवी कैमरे को रात्रि में ही तोड़ करके भागते समय फेक दिया गया कहीं पर याद नही है। उल्लेखनीय है किं दिनांक 13/14-03/2025 की रात्रि करहां बाजार स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान से चोरी हुआ था। जो संबंधित मु0अ0सं0 111/2025 धारा 331(4),305,317(2) BNS धारा 60 एक्साइज एक्ट थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ पाये गये गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अंकुर सिंह पुत्र सन्तोष सिंह निवासी करहा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी की 57 शीशी अलग अलग कम्पनी व मात्रा की अंग्रेजी शराब (कुल 18.525 ली0)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 सरफराज खान थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ व आबकारी निरीक्षक विमलेश कुमार यादव क्षेत्र सदर मऊ, हे0का0 अखिलेश यादव, हे0का0 राजबहादुर सरोज, हे0का0 विवेक गुप्ता, हे0का0 शिवनरायन, का0 रोहित कुमार यादव, का0 अभिनव मिश्र, का0 अनिल कुमार थाना मुहम्मदाबाद गोहना व का0 संदीप कुमार गौंड़, का0 अभिषेक कुमार यादव आबकारी विभाग मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 26.04.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रोजवेज घोसी के पास से मु0अ0सं0 107/25 धारा 69 बीएनएस में वांछित अभियुक्त मण्टू चौहान पुत्र रामदुलारे चौहान निवासी कुचहरा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी कुल धनराशि 50,000 (पच्चास हजार) रुपये थाना हलधरपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना हलधरपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी कुल धनराशि 50,000 रुपये, पीडित आदर्श सिंह पुत्र आनंद सिंह निवासी छिछोर करौदी थाना हलधरपुर जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 50,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना हलधरपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा, म0उ0नि0 रिया सिंहा, क0आ0 नुपुर खरे, आरक्षी हर्षिकेश, म0आ0 निधि थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

साथ ही साथ थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा यूपीआई के माध्यम से गलती भेजे गये 4000 (चार हजार) रुपये आवेदकर अभयराज श्रीवास्तव पुत्र अनिल श्रीवास्तव निवासी भरतपुर पिपरीडीह थाना सरायलखन्सी के खाते में वापस कराया गया।